अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुकाम बस्सी जिला जयपुर व अलजास.
दीपाली भगोतिया आर.ए.एस सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जयपुर

1. पूरया पुत्र रामनारायण जाति गुर्जर निवासी बल्लूपुरा तह. बस्सी।	बनाम	1. हनुमान पुत्र भौरया 2. रंगलाल पुत्र भौरया 3. मु. बच्ची बेवा प्रताप जाति गुर्जर निवासी बल्लूपुरा तह. बस्सी। 4. सुखा दत्तक पुत्र श्रीनारायण जाति गुर्जर निवासी ए–21 कच्ची बस्ती नन्दपुरी बाईस गोदाम जयपुर। 5. ग्यारसा पुत्र रामनारायण(फौत) जाति गुर्जर निवासी बल्लूपुरा तह. बस्सी। 6. तहसीलदार बस्सी।

दावा बाबत घोषणा, विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर 567/08 दिनांक 26.02.2018

पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील उभय पक्ष की वाद पत्र पर बहस सुनी गयी। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त सार इस प्रकार है वकील वादी ने दावा बाबत घोषणा विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि भूमि वादग्रस्त हाल खसरा नं. 48 रकबा 9 बीघा 2 बिस्वा लगानी 37 रुपये 90 पैसे ग्राम बल्लूपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर में स्थित है। प्रतिवादी सं. 4 सुखा बचपन में ही बाईस गोदाम जयपुर निवासी नारायण के गोद चला गया था उसका विवाह भी नारायण ने ही किया था तथा वह नारायण के साथ ही बाईस गोदाम स्थित प्लाट नं. ए–21 में निवास करता था। नारायण एवं उसकी पत्नि संज्या देवी की मृत्यु हो चुकी है। नारायण खातेदारी की भूमि का नामान्तकरण भी बहैसियत दत्तक पुत्र सुखा के नाम स्वीकार हो चुका है तथा उक्त सुखा नारायण की चल व अचल संपति पर मालिक तथा काबिज है। इस प्रकार सुखा प्रतिवादी सं. 4 का भूमि वादग्रस्त में किसी प्रकार का हक व हिस्सा नहीं है। यही कारण रहा है कि भूमि वादग्रस्त पर सुखा काबिज काश्त नहीं है। इसलिये भूमि वादग्रस्त के मौके पर उक्तानुसार 4 मनबट कर लिये थे तथा उक्त 4 हिस्सेनुसार ही राज्य सरकार को अपना लगान अदा किया जाता रहा हे। सुखा के गोद चले जाने से अपने पिता रामनारायण की भूमि में अधिकार समाप्त हो गये और उसके हिस्से की भूमि के अधिकार वादी तथा प्रतिवादी सं. 2, 3 व 5 में बहिस्सा बराबर निहित हो गये। प्रतिवादी सं. 5 ने दिनांक 13.06.2001 का जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अपने हिस्सा 1/5 का बेचान प्रतिवादी सं. 1 के हक में कर दिया है जिसका नामान्तकरण भी प्रतिवादी सं. 1 ने अपने पक्ष में खुलवा लिया है। भूमि वाद ग्रस्त कानूनन अविभाजित भूमि है जिसके प्रत्येक इंच भूमि पर सभी सह–खातेदान का हिस्सा है। दिनांक 13.06.2001 के विक्रय पत्र के बाद 2nd

Contd--2

प्रतिवादी सं. 1 अब इस फिराक में है कि यह भूमि वाद ग्रस्त में जबरन कब्जा कर लेवें। जिसकी उसने वादी को दिनांक 26.01.2000 को धमकी दी है। प्रतिवादी सं. 1 अजनबी केता है तथा उसे कानूनन अविभाजित भूमि में बिना बंटवारा करवाये कब्जा करने का कोई हक प्राप्त नहीं है। वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाकर घोषणा इस आशय की फरमाई जावें कि भूमि वादग्रस्त हाल ख.नं. 48 रकबा 09 बीघा 2 बिस्वा स्थित ग्राम बल्लूपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर में प्रतिवादी सं. 4 सुखा के गोद चले जाने से कोई अधिकार शेष नहीं बचे है और उक्त भूमि में वादी हिसा 1/4 का खातेदार काश्तकार है। शेष भूमि के हिस्सा 1/4 का खातेदार काश्तकार प्रतिवादी सं. 1 तथा 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार प्रतिवादी सं. 2 रंगलाल तथा हिस्सा 1/4 के खातेदार काश्तकार प्रतिवादिनी सं. 3 मु. बच्ची है। प्रतिवादी सं. 4 सुखा का भूमि वादग्रस्त की खातेदारी में से हजफ फरमाया जावें तथा उक्तानुसार संबंधित जमाबंदी में अंकन करने का आदेश तहसीलदार जी बस्सी को दिया जावें। प्रतिवादी सं. 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें कि वह बिना विधिवत बटंवारा करवाये भूमि वादग्रस्त में जबरन कब्जा न करें। उक्त अनुतोष अथवा उसके अलावा अन्य जिस किसी भी अनुतोष को प्राप्त करने का वादी अधिकारी पाया जावें वह भी उसे दिलाया जावें।

उक्त वाद का प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा पेश कर निवेदन किया कि बल्लुपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर में स्थित आराजी खा.नं. 48 में मिन प्रतिवादी संख 1, 2 का हिस्सा 1/5 है। तथा मिन प्रतिवादी सं. 1 ने प्रतिवादी सं. 5 ग्यारसा का हिस्सा 1/5 जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद किया है। जिसका अमल भी मिन प्रतिवादी सं. 1/प्रार्थी के पक्ष में किया जाकर अलग से 1/5 हिस्सा दर्ज रिकार्ड किया जा चुका है तथा प्रतिवादी सं. 1 व 2 अलग से 1/5 दर हिस्सा 1/2 दर्ज है। प्रतिवादी सं. 1/प्रार्थी द्वारा न्यायालय ए.सी.एम. बस्सी के यहां एक वाद उनवानी हनुमान सहाय बनाम रंगलाल आदि प्रस्तुत किया जिसकी विधिवत रुप से सुनवाई की जाकर अंतिम रुप से दिनांक 20.10.2008 को किया निर्णय किया जाकर मिन प्रतिवादी 1/प्रार्थी के पक्ष में उद्घोषणा की डिकी इस आशय की पारित की गयी है कि ख.नं. 48 रकबा 9 बीघा 2 बिस्वा के हिस्सा 1/5 में हनुमान सहाय व रंगलाल का हिस्सा 1/2–1/2 घोषित किया जाता है तथा रंगलाल पुत्र भोरया के साथ साथ प्रतिवादी सं. 1/प्रार्थी का नाम भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश हो चुका है। जिसकी पालना वर्तमान राजस्व रिकार्ड में नामान्तकरण सं. 137 दिनांक 08.04.09 के जरिये अमल किया जा चुका है। उक्त वाद का प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा पेश कर निवेदन किया कि कम सं. 5 में प्रतिवादी सं. 5 के हिस्से की भूमि का प्रतिवादी सं. 1 द्वारा कय करना स्वीकार है तथा जिसका नामान्तरकरण भी प्रतिवादीगण के नाम हो गया है। प्रतिवादी सं. 1 अजनबी केता नहीं है बल्कि स्वयं वादी के वंशवृक्ष के अनुसार प्रतिवादी सं. 1 उसी वंश का सदस्य है जिसका प्रतिवादी सं. 5 तथा स्वयं वादीगण है। अतः अजनबी केता होने तथा धमकी देने की बात

Contd--3

पूर्ण मिथ्या है। चूंकि सुखा गोद जा चुका है अतः उसका नाम खातेदारी से विलोपित करने त
चारो सहकृषको को 1/4 भाग का खातेदार घोषित करने व उसी अनुसार बंटवारा कर दिया जावे
अतः वादोत्तर प्रस्तुत कर निवेदन है कि भूमि वादी तथा प्रतिवादी नं. 1, 2, व 3 के मध्य सहकृष
होने से बंटवारा कर दिया जावे एवं शेष प्रार्थना निरस्त की जावे तथा प्रतिवादी सं. 5 फोत हो चुक
है जिसके नाम के आगे फोत शब्द अंकित किया जावें।

उक्त वाद पत्र की वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन एवं वकील उभय पक्ष की वाद पत्र पर की गई बहस पर मनन करने क पश्चात एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर वादी का वाद अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी ख.नं. 48 रकबा 9 बीघा 2 बिस्वा स्थित ग्राम बल्लूपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर में से सुखा के हिस्से की भूमि में से 1/3 हिस्सा वादी पूरया तथा 1/3 हिस्सा रंगलाल, हनुमान, तथा 1/3 हिस्सा बच्ची देवी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार बस्सी को आदेश दिया जाता है कि उक्त वादग्रस्त भूमि का इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री की पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 26.02.18 को यह निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26.2.18

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ.20 रुल्स व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट,मुकाम बस्सी जिला जयपुर व अलजास. दीपाली भगोतिया आर.ए.एस सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट

1. पूरया पुत्र रामनारायण जाति गुर्जर निवासी बल्लूपुरा तह. बस्सी।

बनाम

1. हनुमान पुत्र भौरया
2. रंगलाल पुत्र भौरया
3. मु. बच्ची बेवा प्रताप जाति गुर्जर निवासी बल्लूपुरा तह. बस्सी।
4. सुखा दत्तक पुत्र श्रीनारायण जाति गुर्जर निवासी ए–21 कच्ची बस्ती नन्दपुरी बाईस गोदाम जयपुर।
5. ग्यारसा पुत्र रामनारायण(फौत) जाति गुर्जर निवासी बल्लूपुरा तह. बस्सी।
6. तहसीलदार बस्सी।

दावा बाबत घोषणा, विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर 567/08

वादी का वाद अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी ख.नं. 48 रकबा 9 बीघा 2 बिस्वा स्थित ग्राम बल्लूपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर में से सुखा के हिस्से की भूमि में से 1/3 हिस्सा वादी पूरया तथा 1/3 हिस्सा रंगलाल, हनुमान, तथा 1/3 हिस्सा बच्ची देवी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार बस्सी को आदेश दिया जाता है कि उक्त वादग्रस्त भूमि का इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।...............निजी................. मुबलिक.....................बाबत..खर्चा.. इस मुकददमें का मय सूद वगैरह...................फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक..........................को अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 26.02.2018 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तख्त.............. 26.2.18

ओहदा...............................

मुददई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी			स्टाम्प अर्जी		
दावा			दावा		
स्टाम्प			स्टाम्प		
बकालतनामा			बकालतनामा		
स्टाम्प वहत			स्टाम्प वहत		
सबूत			सबूत		
महन्ता वकील			महन्ता वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी